

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.5 (1)/निपेवि/नियम/99/पार्ट-iii/

दिनांक

परिपत्र

विषय:— पेंशनर द्वारा विवाह न करने / पुनर्विवाह करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना ।

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 6 (11) विवि (R&AI) / 76 दिनांक 10.06.1977 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन का भुगतान करने के लिए स्कीम जारी की गई है । उक्त स्कीम के पैरा संख्या 10.2 एवं 10.3 में निम्न प्रावधान है :-

पैरा 10.2 “यदि कोई विधवा परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली है, इस स्कीम के अधीन प्राप्तकर्ता द्वारा पुनर्विवाह / विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा । प्राप्तकर्ता से एक वचन-पत्र भुगतानकर्ता शाखा द्वारा ऐसी घटना घटित होने पर उसकी तुरन्त सूचना पेंशन वितरणकर्ता कार्यालय को देने के लिए लिया जाएगा । अन्य मामलों में ( जैसे परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता अविवाहित पुत्री या विधुर) विवाह न करने / पुनर्विवाह करने का प्रमाण-पत्र हर छह माहों में मई व नवम्बर माह में प्रस्तुत किया जाएगा ।

पैरा 10.3 “पैरा 10 एवं 10.2 में वर्णित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र अनुलग्नक प्ट में दिए गए हैं

(पैरा संख्या 10.3 में वर्णित विवाह न करने / पुनर्विवाह करने से संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रारूप की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है )

यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ बैंकों द्वारा विधवा पारिवारिक पेंशनर से विवाह नहीं करने / पुनर्विवाह करने का, पैरा संख्या 10.3 में निर्धारित प्रारूप में, प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जो कि नियमानुसार सही नहीं है ।

इस संबंध में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

- (i) पेंशनर द्वारा विवाह न करने / पुनर्विवाह करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । केवल पारिवारिक पेंशनर द्वारा ही पैरा संख्या 10.2 एवं 10.3 के तहत कार्यवाही अपेक्षित है ।
- (ii) विधवा पारिवारिक पेंशनर द्वारा विवाह नहीं करने / पुनर्विवाह करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा । विधवा पारिवारिक पेंशनर्स से केवल इस आशय का वचन पत्र (**Undertaking**) लिया जाना है कि पुनर्विवाह की घटना धटित होने पर उसकी सूचना तुरन्त पेंशन वितरणकर्ता कार्यालय को दे दी जावेगी ।
- (iii) पैरा संख्या 10.3 में उल्लेखित विवाह न करने / पुनर्विवाह करने का प्रमाण पत्र केवल अविवाहित पुत्री या विधुर पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से हर छह माह, मई व नवम्बर में लिया जाना है ।

अतः उपरोक्त स्पष्टीकरण अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

निदेशक

पेंशन नियम , 1996

## अनुलग्नक – IV

### I. जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर.....( पेंशनर का नाम)  
को जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या.....का धारक है, देखा है एवं वह  
इस तारीख को जीवित है ।

स्थान :

तारीख :

नाम  
प्राधिकृत अधिकारी का पद (मुहर)

### II. नियोजित नहीं होने का प्रमाण-पत्र

(क) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग में या केन्द्र सरकार / राज्य सरकार की किसी कम्पनी, निगम, उपक्रम, स्वशासी निकाय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति या संस्था में जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया या सारपूर्ण रूप में स्वामित्व-प्राप्त या नियन्त्रित है या जो अपने प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी/जीवन बीमा निगम आदि में अक्टूबर, 20.....को समाप्त अवधि के दौरान नियोजन/पुनर्नियोजन/स्थायी या अस्थायी रूप के एब्जार्ब किए जाने के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है ।

(ख) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक नियुक्ति स्वीकार की है । (सेवानिवृति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

(ग) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद / सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन कोई नियुक्ति स्वीकार की है/स्वीकार नहीं की है । (केवल राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

स्थान :  
तारीख :

हस्ताक्षर.....  
पेंशनर का नाम.....  
पी.पी.ओ. संख्या.....

(\*जो लागू न हो उसे काट दें)

### III. पुनर्विवाह का/विवाह न करने का प्रमाण –पत्र

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/गत छह माह में मेरा विवाह नहीं हुआ है ।

या

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसी घटना की सूचना कोषागार/बैंक को देने के लिए मैं प्रतिवचन देता हूँ ।

स्थान :  
तारीख :

हस्ताक्षर  
पेंशनर का नाम  
पी.पी.ओ. संख्या.....

मैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर उक्त घोषणा को सही रूप में प्रमाणित करता हूँ ।

स्थान :  
तारीख

उत्तरदायी अधिकारी या सुविदित व्यक्ति के  
हस्ताक्षर  
नाम.....  
पद.....